

Office of the District Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No. *memo* /F.R.A.

Dated *04-07-18*

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA) 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of Dr. Ahmad Iqbal (AS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On *04-07-2018* at *11:30 A.M.* Champawat in which the application claiming rights in Kolidhek, Forti, Village in Tashil Lohaghat. Area measuring 4.500 hec for the **Construction of Kolidhek Lake in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Lohaghat tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

Abol
अधिसासी अभियन्ता
सिंघाई खण्ड
लोहाघाट

Kajma
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत.

Dr. Ahmad Iqbal
(Dr. Ahmad Iqbal) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

प्रारूप-

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand

Office at the District Collector Champawat

No. Memo

/FRA.

Date 04-07-2018

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.500 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Irrigation Division, Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Kolidhek Lake near Lohaghat Distt. Champawat (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kolidhek & Forti village (s) in Lohaghat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.500 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

अधिसूची अभियन्ता
सिवाई खण्ड
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत.

(Dr. Ahmad Iqbal) I.A.S)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

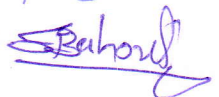
परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चम्पावत में के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 0 हे० सिविल सोयम भूमि 3.192 हे०, वन पंचायत भूमि 1.308 हे०) अर्थात् कुल 4.500 हे० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लोहाघाट की दिनांक 02-07-18) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आर०सी० गौतम, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|--|--|
| 1- श्री आर०सी० गौतम, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट | - अध्यक्ष  |
| 2- श्री मनोहर सिंह सेमिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट | - सदस्य |
| 3- श्री मुरलीधर भट्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी लोहाघाट | - सदस्य/सचिव  |
| 4- श्री दिनेश कुमार, बी०डी०सी० क्षेत्र कोलीढेक | - सदस्य  |
| 5- श्री शंकर बगौली, बी०डी०सी० क्षेत्र फोर्ती | - सदस्य  |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" परियोजना हेतु 1.308 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अर्न्तगत "जनपद चम्पावत में कोलीढेव में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" परियोजना के निर्माण हेतु 1.308 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट
जनपद चम्पावत।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अध्यासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
लोहाघाट

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई उप खण्ड लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...
जिला- चम्पावत

राजस्व उपनिरीक्षक
लोहाघाट
तहसील लोहाघाट

वन-वेब्राधिकारी
प्रान क्षेत्र-लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

तहसीलदार
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

सदस्य
क्षेत्र पंचायत कोलीढेव
वि०ख०- लोहाघाट (चम्पावत)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

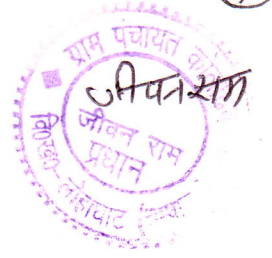
जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

1.6

9

ग्राम पंचायत का नाम-कोलीढेक
तहसील-लोहाघाट, जिला-चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण-पत्र



जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" 4.500 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम-कोलीढेक द्वारा दिनांक 21-06-2018 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-कोलीढेक के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को झील के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव/

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



(मोहन सिंह ठेक)
अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)

1-6

10



परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	मोहन सिंह देव पुत्र श्री विमान सिंह देव	
02	हल्तर सिंह देव पुत्र जोध सिंह देव	
03	अनन्द सिंह देव पुत्र —————	
04	देवान सिंह देव पुत्र भवान सिंह देव	
05	राजेंद्र सिंह देव पुत्र विनय सिंह देव	
06	श्याम सिंह देव पुत्र शेर सिंह देव	
07	शंकर सिंह देव पुत्र —————	
08	रमेश सिंह देव पुत्र धर्म सिंह देव	
09	केलार सिंह देव पुत्र —————	
10	पुन सिंह देव पुत्र खुशाल सिंह देव	
11	महेश सिंह देव पुत्र अशोक सिंह	
12	नरेश सिंह देव पुत्र गोविन्द सिंह देव	
13.	मुकेश सिंह देव पुत्र विनय सिंह देव	
14	मुकेश जोशी पुत्र बच्ची लक्ष्मी	
15	धर्मनन्द जोशी पुत्र विशाव दत्त	
16	ललीत जोशी पुत्र भवुरा दत्त	
17	मनोहर दत्त शर्मा पुत्र महेश्वर शर्मा	
18.	रमेश चन्द शर्मा पुत्र महेश्वर शर्मा	



अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1-6

11



परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	जगत राम पुत्र बच्ची राम	
20	जिवन राम पुत्र हथाल एम	जगत राम
21	प्रकाश चंद जोशी पुत्र देवी लाल जोशी	प्रकाश जोशी
22	मदन जोशी पुत्र जमल लाल जोशी	
23	विजय जोशी पुत्र जयदत्त जोशी	मदन जोशी
24	सिरोहर सिंह देवकुमार देवी सिंह देव	सिरोहर सिंह
25	प्रकाश सिंह देव पुत्र गोविंद सिंह देव	
26	चित्रा मणी जोशी पुत्र लिलाधर जोशी	जगत राम
27	विलोपासिंह फर्वाला पुत्र केसर सिंह फर्वाला	विलोपासिंह
28	भुवन चंद जोशी पुत्र जवाला लाल जोशी	भुवन चंद जोशी
29	नारायण सिंह मेहरा पुत्र ओम सिंह मेहरा	नारायण सिंह
30	जोगा राम पुत्र गोपाल एम	जोगा राम



(मदन सिंह देव)
अध्यक्ष
कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1.6

12

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीढेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
31	अब्दुल कलीम पुत्र अब्दुल हमीद	Kulim
32	S. S. S. S.	S. S. S.
33	M. Tasleem S/o Abdul Majeed	M. Tasleem
34	Tabassum S/o M. Tasleem	Tabassum
35	जामिल पत्नी पुत्री - मोह तसलीम	जामिल
36	लाइला अंसारी/पुत्री अब्दुल तहाब	लाइला
37	अलीन/पत्नी	अलीन
38	मोहान उमर शकरी नवाब उमर	मोहान
39	अब्दुल हसन	अब्दुल हसन
40	Abdul Rehman	Abdul
41	Jahid S/o Sir D. S.	Jahid
42	मोह जावेद	मोह जावेद
43	मोह फरीद	M. Farid
44	फारुख खान	Farukhan
45	जौहर हुसैन	जौहर हुसैन
46	शेख अली	Shekh
47	शेख इमर	M. Imr
48	शेख फरीद	M. Farid



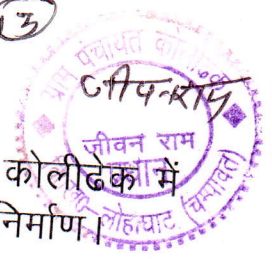
(मोहान सिंह ठेका)

कोलीढेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीढेक, लोहाघाट (चम्पावत)



1.6

13



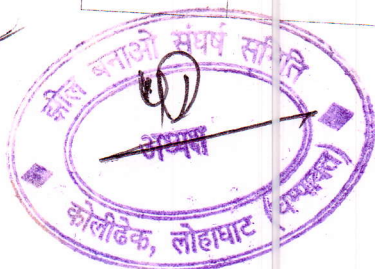
परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीडेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 21-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-कोलीडेक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
49	अब्दुल गफ़्फ़ार / अब्दुल ग़फ़्फ़ार	अब्दुल ग़फ़्फ़ार
50	- अब्दुल हकीम / अब्दुल हकीम	अब्दुल हकीम
51	श्री अमर	म. गंगी
52	अब्दुल हसन	अब्दुल हसन
53	श्री अमर	म. गंगी
54	अमर ज्ञान	अमर ज्ञान
55	जोहार हुसैन	जोहार हुसैन
56	जोहार हुसैन	जोहार हुसैन
57	मो. नसीम	मो. नसीम
58	सहीदा बेगम	सहीदा बेगम
59	हमीदा बेगम	हमीदा बेगम



57 अध्यक्ष
कोलीडेक झील बनाओ संघर्ष समिति
कोलीडेक, लोहाघाट (चम्पावत)



ग्राम पंचायत का नाम-फोर्ती
तहसील-लोहाघाट, जिला-चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में "जनपद चम्पावत में कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण" 4.500 हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम-फोर्ती द्वारा दिनांक 20-06-2018 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-फोर्ती के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को झील के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


प्रधान
ग्राम पंचायत/फोर्ती
खण्ड- ग्राम प्रधान (चम्पावत)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

16 15

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	निसनानन्द उपाध्याय	निसनानन्द
2	मोहन चन्द्र कुंज (पल्ला कुंज)	मोहन
3	शुभज बगौली S/जनकीश बगौली	Shubham
4	दीपक उपाध्याय	Deepak
5	रमेश कुंज	Ramesh Pratha
6	रुद्रिण दत्त कुंज	Suresh datt Subbar
7	भूगदीश राम विश्वकर्मा	Jagdish
8	पुष्करानन्द कोली	Pushkar
9	मोहन चन्द उपाध्याय	Mohan
10	नरूप मोहन उपाध्याय	Narup
11	महेन्द्र कुंज	Mahendra
12	रमेश चन्द्र कुंज	Ramesh
13	रुद्रिण दत्त कुंज	Rudra
14	जीरीश बगौली	Jeerish
15	रमेश चन्द्र उपाध्याय	Ramesh
16	दीपक चन्द्र बगौली	Deepak
17	लीलाधर सिंह	Leela
18	मोहन दत्त कुंज	Mohan
	आनन्द विश्वकर्मा	Anand

मंगलती इलाह
प्रधान
ग्राम पंचायत फोर्ती
वि०ब०- लोहाघाट (चम्पावत)

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	दिनेश चन्द्र बगौली	
20	योगेश बगौली	
22	दीपक कुमार	
23	बानी राम श्र. मंगल राम	
24	गणेश चन्द्र बगौली	बानी राम
25	नरेन्द्र कुमार	नरेन्द्र कुमार
26	कोवि श्याम	
27	मंगलेश चन्द्र	
28	सगवत प्रसाद	
29	देवान राम	
30	नरेन्द्र कुमार विश्वामजी	
31	प्रकाश कुमार	
32	नवीन कुमार	
34	लाल-लाल	नवीन कुमार
35	नाथ राम	लाल-लाल
36	सतीश चन्द्र बगौली	नाथ राम
37	पुष्प राम	सतीश
38	देव राम	पुष्प राम
		देव राम

भगवती डल्ला
प्रधान
ग्राम पंचायत फोर्ती
लोहाघाट (चम्पावत)

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

दिनांक 20-06-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत-फोर्ती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
39	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
40	सत्य बगौली	सत्य बगौली
41	गोविन्द सुन्दर	गोविन्द सुन्दर
42	जगदीश चन्द	जगदीश चन्द
43	सुमित सुन्दर	सुमित सुन्दर
44	राज सिंह	राज सिंह
45	राम सुन्दर	राम सुन्दर
46	Deepak Bagavli	Deepak Bagavli
47	सुरेश बगौली	सुरेश बगौली
48	दिनेश बगौली	दिनेश बगौली
49	जगदीश बगौली	जगदीश बगौली
50	सुरेश चन्द बगौली	सुरेश चन्द बगौली
51	जीरम बगौली	जीरम बगौली
52	आनन्द जगौली	आनन्द जगौली
53	वेल्ल मेहरा	वेल्ल मेहरा
54	पुकाश चन्द	पुकाश चन्द
55	कैलाश चन्द बगौली	कैलाश चन्द बगौली
56		

परियोजना का नाम :-

दिनांक 20-6-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

[illegible]

58